



A1, आई०टी० पार्क, सहस्रनामा रोड, देहरादून - 248013
ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com Phone No. 0135 2600522223



पत्रांक: : रा०स्गा०प्रा० / २०२०-२१ / Hosp.EMP/ १५९
प्रेषित,

दिनांक: ०७ मई २०२१

डॉ० अभिषेक जैन
अरिहन्त एडवांस सर्जरी एंड फर्टिलिटी रोन्टर
शास्त्रीनगर देहरादून,
उत्तराखण्ड।

विषय: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं (SGHS) State Government Health Scheme के अन्तर्गत कोविड-19 मरीजों को उपचार न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, कि आपका चिकित्सालय PMJAY/AAUY के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने के साथ ही उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी कोविड मरीजों के उपचार हेतु Designate किया गया है। PMJAY/AAUY के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के फलस्वरूप चिकित्सालय द्वारा कोविड मरीजों को भी उपचारित किया जाना है। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड (PMJAY/AAUY/SGHS) धारक जो कोविड से संक्रमित है को निशुल्क (कैशलेस) उपचार दिया जाना है। लेकिन कतिपय मरीजों द्वारा शिकायत की गयी है कि अरिहन्त एडवांस सर्जरी एंड फर्टिलिटी सेंटर शास्त्रीनगर देहरादून द्वारा कोविड-19 मरीजों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं (SGHS) State Government Health Scheme के अन्तर्गत उपचार नहीं दिया जा रहा है। जिन मरीजों को कोविड- 19 का उपचार दिया जा रहा है उनसे नगद धनराशि ली जा रही है जो कि नियम विरुद्ध है, यह भी संज्ञान में आया है कि जब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अस्पताल प्रबन्धन को दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किया जाता है तो फोन/मोबाइल का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता है, जो कि खेद का विषय है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं (SGHS) State Government Health Scheme के अन्तर्गत मरीजों को निःशुल्क (कैशलेस) सुविधा प्रदान की जाये, अन्यथा चिकित्सालय की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, साथ ही चिकित्सालय के क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (CEA) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) को सूचित किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबन्धन की होगी।

भवदीय

(डॉ० ए० के० गोयल)
निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

✓ पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून।

→ →

(डॉ० ए० के० गोयल)
निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।